भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1042
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

पीएम श्री योजना के तहत स्थापित किए गए केवी और जेएनवी

†1042. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पीएम श्री योजना के तहत विशेष रूप से ओडिशा में उक्त योजना के आरंभ से लेकर अब तक कितने केंद्रीय विद्यालय (केवि) और जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) स्थापित किए गए हैं;
(ख) आगामी वर्ष में पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों की स्थापना किए जाने की योजना है;
(ग) क्या उक्त स्कूलों के परिणामों को मापने के लिए स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन कार्यढांचा (एसक्यूएएफ) विकसित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने पीएम श्री स्कूलों के नियमित रूप से गुणवत्ता मूल्यांकन किए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) पीएम श्री योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं), नवोदय विद्यालय समिति (नविस) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ-साथ कुल 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएम पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक 11920 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जा चुका है। देश भर में कुल 884 केंद्रीय विद्यालयों (केवि) और 620 नवोदय

विद्यालयों (नवि) को पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुना गया है। ओडिशा राज्य में केविसं से 43 पीएम श्री स्कूल और नविस से 31 पीएम श्री स्कूल चुने गए हैं।

(ग) & (घ) स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा (एसक्यूएएफ) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है, जो प्रत्येक पीएम श्री स्कूल द्वारा हासिल की जाने वाली दक्षता के स्तर को दर्शाता है। एसक्यूएएफ को पीएम श्री योजना के छह स्तंभों के आधार पर छह मुख्य डोमेन में विभाजित किया गया है, जो एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित हैं अर्थात् (i) पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन (ii) पहुँच और बुनियादी ढाँचा (iii) मानव संसाधन और स्कूल नेतृत्व (iv) समावेशी प्रथाएँ और लैंगिक समानता (v) प्रबंधन, निगरानी और (vi) शासन और लाभार्थी संतुष्टि। पीएम श्री स्कूलों की प्रगति की निगरानी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र सरकार द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

*****